भारतीय जीवन बीमा निगम

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

प्रधान मंत्री जन धन योजना
के तहत जन-धन खाताधारकों
के लिये रु.30,000/- के
जीवन बीमा सुरक्षा के
दावा निपटारा हेतु प्रक्रिया

PRADHAN MANTRI JAN DHAN YOJANA (PMJDY)

PROCEDUREFOR CLAIM SETTLEMENT

UNDER LIFE INSURANCE COVER OF

Rs.30,000/- FOR PMJDY ACCOUNT HOLDER

प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत

बैंकों के लिए दावा संसाधन की प्रक्रिया

/ विषय-वस्तु

A. प्रस्तावना

B. परिभाषाएं

C. योजना के अंतर्गत लाभ

D. मूलभूत पात्रता की शर्तें

E. अपात्रता की श्रेणियां

F. योजना से बाहर निकलना

G. दावा निपटान प्रक्रिया

H. मृत्यु दावे की सूचना प्राप्त होने पर बैंकों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया

I. दावा की सूचना प्राप्त होने पर एलआईसी द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया।

J. अनुलग्नकों की सूची

पीएमजेडीवाई दावा प्रक्रिया

A. प्रस्तावना

माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को लक्षित करने वाले व्यापक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम की घोषणा की थी जिन्हें वर्तमान में मूलभूत वित्तीय सेवाएं भी हासिल नहीं हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) ऐसे प्रत्येक परिवार को एक मूलभूत बैंक खाता प्रदान करती है जिसके पास अभी तक कोई भी खाता नहीं था। बैंक खाता रूपे (RuPay) डेबिट कार्ड के साथ आता है जिसमें रु. 1 लाख का अंतर्निहित दुर्घटना बीमा शामिल है।

नई दिल्ली में 28.08.2014 को पीएमजेडीवाई योजना के उद्घाटन समारोह में, माननीय प्रधानमंत्री ने उन सभी लोगों के लिए रूपे (RuPay) कार्ड के साथ रु. 30,000/- के जीवन बीमा की घोषणा की जो 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 के बीच पहली बार बैंक में खाता खुलवाएंगे।

रु. 30,000/- का यह जीवन बीमा कवर **प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जीवन बीमा**, कहलाता है, जो बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति के परिवार को जीवन बीमा की सुविधा उपलब्ध कराता है। योजना का लक्ष्य उन परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराना है जो प्रत्यक्ष बीमा का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं, विशेषकर ऐसे शहरी गरीब एवं ग्रामीण गरीब जिन्हें किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना में कवर नहीं किया गया है।

B. परिभाषाएं

पीएमजेडीवाई	-	प्रधान मंत्री जन धन योजना
एचओएफ़	-	परिवार का मुखिया
रूपे (RuPay) कार्ड	-	पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए बीएसबीडीए खाते के साथ बैंक द्वारा जारी किया गया डेबिट कार्ड
आधार कार्ड	-	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी किया गया बायो-मीट्रिक कार्ड
आयकर अधिनियम, 1961	-	आयकर अधिनियम 1961, भारत सरकार
आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई)	-	भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की सामाजिक सुरक्षा योजना, जो मृत्यु होने पर रु.30,000/- का तथा स्थायी एवं आंशिक अपंगता लाभों के अलावा दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर रु.75,000/- का

		जीवन बीमा कवर प्रदान करती है।
एएबीवाई के अंतर्गत आने वाले 48 पेशे	-	एएबीवाई जीवन बीमा कवर ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो अनुलग्नक ए में सूचीबद्ध 48 पेशों से संबंधित हैं।
मूलभूत पात्रता की शर्तें	-	पीएमजेडीवाई के अंतर्गत लाभ का पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें
एपीबीएस	-	आधार पेमेंट्स ब्रिज सिस्टम
बायो-मीट्रिक कार्ड	-	उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया आधार कार्ड या कोई भी कार्ड जो पीएमजेडीवाई के अंतर्गत बीएसबीडीए खाता खोलने के लिए बैंक द्वारा स्वीकार्य हो।

C. <u>योजना के अंतर्गत लाभ</u>

योजना के अंतर्गत, पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर, किसी भी कारण से मृत्यु होने पर लाभार्थी को रु.30,000/- का जीवन बीमा उपलब्ध कराया जाता है:

D. <u>मूलभूत पात्रता की शर्तें</u>

i. रूपे (RuPay) कार्ड के साथ पहली बार बैंक में खाता खुलवाने वाला व्यक्ति, जो 15-08-14 से 26-01-15 की अवधि के दौरान, या भारत सरकार द्वारा आगे बढ़ाई गई किसी भी अतिरिक्त अवधि में खाता खुलवाता है।

ii. व्यक्ति आमतौर पर परिवार का मुखिया अथवा परिवार का कमाने वाला सदस्य होना चाहिए और उसे 18 से 59 आयु वर्ग का होना चाहिए (यानी व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 60 वर्ष होनी चाहिए)। यदि परिवार के मुखिया की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो, तो परिवार का कमाने वाला दूसरा व्यक्ति जिसकी आयु उपरोक्त आयु वर्ग में है, उसे पात्रता के अधीन कवर किया जाएगा।

iii. व्यक्ति के पास बैंक खाते से लिंक किया गया या वह पहले से नहीं हो तो बैंक खाते से लिंक होने की प्रक्रिया में शामिल एक रूपे (RuPay) कार्ड तथा बायो-मीट्रिक कार्ड होना चाहिए।

iv. खाता, किसी छोटे खाते सहित कोई भी बैंक खाता हो सकता है।

v. कवरेज के प्रभावी होने के लिए उपरोक्त रूपे(RuPay) कार्ड सदस्य की मृत्यु के समय मान्य और प्रभावी होना चाहिए

vi. परिवार के केवल एक सदस्य को ही बीमा योजना में कवर किया जाएगा और व्यक्ति के पास एकाधिक कार्ड/खाते हों तो लाभ की अनुमति केवल एक ही कार्ड के अंतर्गत दी जाएगी यानी पात्रता की शर्तों के अनुसार प्रति परिवार एक व्यक्ति को ही रु. 30,000/- का एकल कवर मिलेगा।

vii. योजना के अंतर्गत रु. 30,000/- का जीवन बीमा आरंभ में 5 वर्ष की अवधि के लिए, यानी वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति तक होगा। उसके पश्चात, योजना की तथा उसके विस्तार के नियम और शर्तों की समीक्षा की जाएगी, साथ ही भविष्य में बीमित व्यक्ति द्वारा प्रीमियम का भुगतान करना भी उपयुक्त रूप से निर्धारित किया जाएगा।

viii. यदि पीएमजेडीवाई खाता संयुक्त रूप से रखा गया हो, तो फिर पहला खाता धारक यानी प्राथमिक खाता धारक पात्रता शर्तों को पूर्ण करने के विषयाधीन कवर के लिए योग्य होगा।

E. <u>अपात्रता की श्रेणियां</u>

i. केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी (सेवारत अथवा सेवानिवृत्त) तथा उनके परिवार।

ii. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, तथा केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली इकाई एवं राज्य सरकार के स्वामित्व वाली इकाई अथवा केंद्र सरकार व किसी भी राज्य सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाली इकाई के कर्मचारी (सेवारत अथवा सेवानिवृत्त) और उनके परिवार।

iii. ऐसे व्यक्ति जिनकी आय आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर योग्य है या वे वार्षिक रूप से आयकर विवरणी दाखिल कर रहे हैं या जिनकी आय से टीडीएस काटा जा रहा है, तथा उनके परिवार।

iv. आम आदमी बीमा योजना में शामिल ऐसे व्यक्ति जिन्हें योजना के अंतर्गत परिभाषित 48 व्यवसायों में कवर किया जा रहा है, तथा उनके परिवार।

v. अन्यथा रूप में पात्र खाता धारकों को, जिन्हें खाते में बैंक की किसी भी अन्य योजना में जीवन बीमा मिला हुआ है, उन्हें दोनों में से एक योजना को चुनना होगा और केवल एक योजना का लाभ लेना होगा।

vi. ऐसे सभी व्यक्ति जो योजना की मूल पात्रता शर्तों की पूर्ति नहीं करते।

F. <u>योजना से बाहर निकलना</u>

60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर व्यक्ति योजना से बाहर हो जाएगा, यानी जिस दिन वह व्यक्ति 60 वर्ष पूर्ण करेगा या योजना की समाप्ति पर, जो भी पहले हो।

G. <u>दावा निपटान प्रक्रिया</u>

a) रु. 30,000/- की दावा राशि खाताधारक के नामित व्यक्ति/कानूनी वारिस को देय होगी। व्यक्ति को जीवन बीमा की सुविधा उसकी आयु 18 वर्ष (पूर्ण) होने से लेकर उसकी आयु 60 वर्ष पूर्ण होने तक दी जाएगी यानी 60 वर्ष पूर्ण हो जाने पर पात्रता समाप्त हो जाएगी तथा वह 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के दिन योजना से बाहर हो जाएगा।

b) रु. 30000/- के मृत्यु दावा लाभ का निपटारा एलआईसी के प्राधिकृत पेंशन एवं समूह योजना (पी एंड जीएस) कार्यालय द्वारा किया जाएगा। प्रक्रिया का पालन इस तरह किया जाएगा:

i. अनुलग्नक ख के अनुसार दावे के कागजात संबंधित बैंक की जिला शाखा/नोडल शाखा द्वारा दावों के संसाधन के उद्देश्य से प्राधिकृत एलआईसी की नज़दीकी पेंशन एवं समूह योजना इकाई (पी एंड जीएस इकाई) के पास जमा कराए जाएंगे। पी एंड जीएस इकाइयों की एक सूची अनुलग्नक डी के रूप में संलग्न है।

ii. दावे का भुगतान उस नामित व्यक्ति को किया जाएगा जो बैंक खाते में नामित के रूप में दर्ज है। नामांकन न होने की स्थिति में या यदि नामित व्यक्ति की मृत्यु बीमित व्यक्ति से पहले हो जाती है या यदि नामित व्यक्ति जीवन साथी, संतान अथवा माता-पिता नहीं है, तो फिर खाताधारक के कानूनी वारिस को एलआईसी के पास निर्धारित प्रारूप में अधिकार का कानूनी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए क्षतिपूर्ति बांड जमा करना होगा (जो अनुलग्नक सी1 तथा सी2 में दिया गया है)।

iii. दावे की राशि नामित व्यक्ति (व्यक्तियों)/कानूनी वारिसों के बैंक खातों में एपीबीएस के माध्यम से जमा की जाएगी यानी राशि आधार कार्ड नंबर से लिंक किए गए खाते में जमा की जाएगी।

iv. ऐसी स्थिति में जहां दावाकर्ता द्वारा दावा प्रपत्र सीधे किसी भी एलआईसी कार्यालय में जमा किया जाता है, तो ऐसे में एलआईसी उसे तुरंत मृत खाता धारक के संबंधित बैंक को भेज देगी ताकि संबंधित बैंक द्वारा आवश्यक सत्यापन किया जा सके। संबंधित बैंक की शाखा दावा प्रपत्र को दावे के संसाधन के लिए एलआईसी की नज़दीकी पी एंड जीएस इकाई को भेज देगी।

H. <u>मृत्यु दावे की सूचना प्राप्त होने पर बैंकों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया</u>

बैंक की वह संबंधित शाखा जहां शुरुआत में पीएमजेडीवाई बचत खाता खोला गया था उसे एलआईसी के समक्ष दावा दाखिल करना होगा। दावा दाखिल करते समय समय, अग्रेषणकर्ता बैंक शाखा प्रथम दृष्टया यह परीक्षण करेगी कि पात्रता की शर्तों के आधार पर दावा देय है या नहीं। इस उद्देश्य से, निम्नलिखित दस्तावेज़ मंगाने की आवश्यकता होगी:-

1. मृत सदस्य के मृत्यु प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित प्रति।

2. मृत्यु दिनांक को खाताधारक की आयु निर्धारित करने के लिए मृत व्यक्ति के आधार कार्ड की प्रति। यदि आधार कार्ड जारी नहीं किया गया हो तो फिर <u>निम्न में से किसी भी एक आयु साक्ष्य की अभिप्रमाणित</u> प्रतिलिपि मांगी जाएगी :-

   a) जन्म पंजीकरण से लिया गया उद्धरण

   b) विद्यालय प्रमाणपत्र से लिया गया उद्धरण

   c) राशन कार्ड

   d) मतदाता परिचय पत्र

यदि मृत व्यक्ति मृत्यु दिनांक से पहले 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, तो फिर व्यक्ति को जीवन बीमा का लाभ उपलब्ध नहीं होगा। अतः मृत्यु दिनांक को आयु महत्वपूर्ण होती है।

3. रूपे (RuPay) कार्ड की मान्यता एवं उसके प्रभावी होने की स्थिति का सत्यापन (यह जांचना होगा कि रूपे (RuPay) कार्ड ब्लॉक है या नहीं)।

4. मृत व्यक्ति के बीपीएल कार्ड अथवा राशन कार्ड की सहायता से "परिवार का मुखिया" होने की स्थिति का सत्यापन और साथ ही यह कि क्या वह व्यक्ति परिवार का कमाने वाला सदस्य है या नहीं।

5. यह सत्यापित करने के लिए कि कहीं मृत व्यक्ति अनुच्छेद ई में दी गई अपात्रता शर्तों के अनुसार अपात्र तो नहीं है।

6. यह सत्यापित करने के लिए कि क्या मृत व्यक्ति को खाते में बैंक की किसी भी अन्य जीवन बीमा योजना में कवर किया गया है या नहीं, क्योंकि लाभ केवल एक ही योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा।

7. पीएमजेडीवाई के अंतर्गत संयुक्त खाताधारकों की स्थिति में, पहले खाता धारक (प्राथमिक खाता धारक) को पात्रता शर्तों के अधीन जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा।

8. उचित रूप से भरा गया दावा प्रपत्र-सह-डिस्चार्ज रसीद (जैसा अनुलग्नक बी में दिया गया है):- दावा प्रपत्र का भाग ए नामित व्यक्ति/कानूनी वारिस/दावाकर्ता द्वारा पूर्ण किया जाना है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी को भाग बी भरना होगा। अधिकारी को भाग सी में दावाकर्ता के हस्ताक्षर का साक्ष्य बनना होगा। दावा प्रपत्र पर उचित स्थानों पर बैंक की मुहर लगाई जानी चाहिए। नामांकन न होने की स्थिति में या यदि नामित व्यक्ति की मृत्यु बीमित व्यक्ति से पहले हो जाती है या यदि नामित व्यक्ति जीवन साथी, संतान अथवा माता-पिता नहीं है, तो फिर खाताधारक के कानूनी वारिस को एलआईसी के

पास निर्धारित प्रारूप में अधिकार का कानूनी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए क्षतिपूर्ति बांड जमा करना होगा (जो अनुलग्नक सी1 तथा सी2 में दिया गया है)।

9. पूर्ण रूप से भरा गया दावा प्रपत्र (भाग ए, बी एवं सी) निम्नलिखित दस्तावेज़ों के साथ एलआईसी की नज़दीकी पी एंड जीएस इकाई को अग्रेषित करना होगा।

   a) मृत सदस्य के मृत्यु प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित प्रति।

   b) मृत व्यक्ति के आधार कार्ड की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

   c) दावाकर्ता के आधार कार्ड की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

उपरोक्त उल्लिखित सभी दस्तावेज़ों के साथ दावा प्रपत्र हमारी पी एंड जीएस इकाई में प्राप्त हो जाने पर, पी एंड जीएस इकाई द्वारा पात्रता के अधीन, मृत्यु दावा लाभ को आधार से लिंक किए गए बैंक खाते में जमा करते हुए, नामित व्यक्ति/कानूनी वारिस के हक में दावे का निपटारा किया जाएगा।

I. <u>दावा की सूचना प्राप्त होने पर एलआईसी द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया</u>

बैंक से दावा प्रपत्र प्राप्त होने पर, आवश्यक आवक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, पी एंड जीएस इकाई का उपयोगकर्ता निम्न चरणों का अनुसरण करेगा:

1. यह सत्यापित करना कि दावा प्रपत्र के सभी पहलुओं को भरा गया है और मृत व्यक्ति बैंक द्वारा जमा किए गए दस्तावेज़ों के आधार पर पात्रता मापदंड को पूरा करता है।

2. यदि दावा अन्यथा रूप में देय हो, तो उपयोगकर्ता दावे को पीएमजेडीवाई (प्रधान मंत्री जन धन योजना) के दावा मॉड्यूल में लॉग करेगा। प्रासंगिक डेटा को मॉड्यूल में दर्ज किया जाएगा।

3. मॉड्यूल दो पहलुओं की जांच करने के लिए सिस्टम में क्वेरी जनरेट करेगा

   a) यदि दावाकर्ता को समान व्यक्ति पर एक से अधिक दावे के भुगतान से बचने के लिए पूर्व में उसी व्यक्ति पर भुगतान किया जा चुका है।

   b) क्या मृत व्यक्ति को आम आदमी बीमा योजना में भी कवर किया गया है।

4. क्वेरी दो डेटा आधारों से परिणाम जनरेट करेगी जो सकारात्मक या नकारात्मक होगा।

5. यदि परिणाम सकारात्मक हो, तो मॉड्यूल उपयोगकर्ता द्वारा सत्यापन के लिए रिकॉर्डों की सूची जनरेट करेगा। मैन्युअल आधार पर उचित सत्यापन के पश्चात, यदि यह सुनिश्चित हो जाता है कि इसी जीवन बीमा का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है या मृत व्यक्ति एएबीवाई के अंतर्गत कवर नहीं है,

तो इसका प्रमाणीकरण पर्यवेक्षक द्वारा भी किया जाना चाहिए। पर्यवेक्षक द्वारा प्रमाणीकरण के पश्चात, उपयोगकर्ता दावे के निपटान की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है।

6. उपरोक्त प्रक्रिया पीएमजेडीवाई तथा एएबीवाई के अंतर्गत डुप्लिकेट दावे के गैर-भुगतान को यथासंभव सीमा तक सुनिश्चित करेगी। मृत व्यक्ति के साथ ही दावाकर्ता के आधार कार्ड नंबर का उपयोग डी-डुप्लिकेशन के लिए भी किया जाएगा।

7. यदि परिणाम नकारात्मक हो, तो मॉड्यूल उपयोगकर्ता को दावे के निपटारे को आगे बढ़ाने देगा।

दावा भुगतान के रजिस्टर एवं रिकॉर्ड एएबीवाई दावों के रजिस्टर की स्थिति की तरह ही समान पद्धति पर बनाए रखे जाएंगे। चूंकि पीएमजेडीवाई के अंतर्गत डीएबी और अक्षमता के लाभ देय नहीं होते हैं, इसलिए प्रासंगिक स्तंभों को शामिल नहीं किया जाएगा।

J. दावा प्रपत्र www.licindia.in, www.iba.org.in, http://financialservices.gov.in, www.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

K. <u>अनुलग्नकों की सूची</u>

अनुलग्नक ए	-	आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत 48 पेशों की सूची
अनुलग्नक बी	-	एलआईसी का दावा प्रपत्र-सह-डिस्चार्ज रसीद।
अनुलग्नक सी1	-	अधिकार के कानूनी साक्ष्य के साथ दिया जाने वाला आवेदन प्रपत्र।
अनुलग्नक सी2	-	एलआईसी का क्षतिपूर्ति बांड अधिकार के कानूनी साक्ष्य के साथ वितरित किया जाएगा
अनुलग्नक डी	-	दावा प्रपत्रों को जमा करने के लिए पी एंड जीएस इकाइयों की सूची।